संयुक्त प्रांतीय ग्राम–सुधार (भूमि अधिकरण) ऐक्ट, 1948 ई०[1]

[संयुक्त प्रातीय ऐक्ट नं० 27, सन् 1948 ई०]

[संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल ने क्रमशः 6 मई, सन् 1948 ई० तथा 10 मई, सन् 1948 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश सन् 1947 ई० द्वारा नियमानुकूल बनाये हुये भारत शासन विधान सन् 1935 ई० की धारा 75 के अन्तर्गत गर्वनर ने 29 मई, सन् 1948 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और वह सरकारी युक्त प्रान्तीय असाधारण गजट में 1 जून सन् 1948 ई० को प्रकाशित हुआ।]

ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों ओर आर्थिक स्थिति के विकास तथा सुधार में सहायता पहुंचाने के निमित्त भूमि अधिकृत करने की व्यवस्था के लिए

एक

ऐक्ट

क्योंकि यह उचित है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे खेती और आर्थिक स्थिति के विकास तथा सुधार के लिये भूमि अधिकृत की जाये और इस प्रकार अधिकृत की हुई भूमि का प्रतिकर नियत करने लिये ऐसी विधि निर्धारित की जाय जिससे अल्प समय में यह कार्य हो सके ।

इसलिये नीचें लिखा हुआ विधान बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह ऐक्ट का नाम संयुक्त प्रान्तीय ग्राम–सुधार (भूमि अधिकरण) ऐक्ट, 1948 ई० होगा ।

(2) यह सारे संयुक्त प्रान्त में लागू होगा ।

(3) यह धारा तुरन्त लागू होगी और शेष धारायें प्रान्तीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञापित तारीख को तथा क्षेत्रों में जो उस समय किसी म्यूनिसिपैलिटी, कैन्टोन्मेंट या नोटिफाइड एरिया मे सम्मिलित न हों, लागू होंगी ।

परिभाषाये

2–इस ऐक्ट में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो,–

(1) "प्रतिकर पदाधिकारी" और "अधिकृत (रिक्वीजीशन) करने वाले अधिकारी" से तात्पर्य उन प्रतिकर पदाधिकारी और अधिकृत (रिक्वीजीशन) करने वाले अधिकारी से है जिन्हें प्रान्तीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त करे ; पर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति जिला कलैक्टर या उसके द्वारा मनोनीत कोई डिप्टी कलेक्टर हो ।

(2) "सार्वजनिक प्रयोजन" के अन्तर्गत निम्नलिखित या उनसे सम्बन्धित कोई भी उद्देश्य होंगे :––

(क) सिंचाई के लिये तालाब बनाना, बढ़ाना या उन्हें गहरा करना,

---

1. उद्देश्यों और कारणों हेतु उत्तर प्रदेश गजट असाधारण दिनांकित 1 जून, 1948 देखें ।

(ख) गांव के कूड़े की मिस्सी खाद (कम्पोस्ट) या अन्य प्रकार की खाट बनाना,

(ग) खेतों की सिंचाई के लिये नालियों की उचित व्यवस्था करना,

(घ) पौधों की नर्सरी बनाना,

(ङ) कोई अन्य उद्देश्य जिसे प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति करने के पश्चात् और ऐसे विरोधों और प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् जो उस पर प्राप्त हुए हों, गजट में घोषित करे कि वह खेतों के विकास या ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के जीवन में सुधार करने के लिये आवश्यक है ।

(3) "भूमि" में तालाब और ऐसी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो भूमि से संलग्न हो या भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई हो ।

(4) "नियत" का अर्थ इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियत किया हुआ है ।

(5) "राज्य सरकार" का अर्थ संयुक्त प्रान्तीय सरकार है ।

(6) शब्द "लगान" (रेन्ट) और "सायर" के क्रमानुसार वही अर्थ होंगे जो अर्थ उनके संयुक्त प्रान्तीय जोत ऐक्ट, 1939 ई० (यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939) में किये है ।

अधिकृत करने की कार्यविधि

3–यदि अधिकृत (रिक्वीज़ीशन) करने वाले अधिकारी के मत में सार्वजनिक उद्देश्य के लिये ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा किसी भूमि को, उसके स्वामी और उस पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति पर इस आशय का नोटिस देकर कि अधिकृत करने वाले अधिकारी ने इस धारा के अनुसार उस भूमि की अधिकृत करने का निश्चय कर लिया है, अधिकृत कर सकता है तथा ऐसे अन्य आदेश दे सकता है जो उसे भूमि अधिकृत करने के सम्बन्ध में आवश्यक या उचित प्रतीत हो । इनके अन्तर्गत ऐसे आदेश हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति के उस भूमि पर खड़े हुये किसी पेड़ों और अन्य फसलों के बेचने, उनको अधिकार में रखने और उपभोग करने से सम्बन्ध रखते हों। जब भू–स्वामी या उस पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति आसानी से न मिल सके या जब उस भूमि को मिल्कियत या उस पर अधिकार सम्बन्धी कोई झगड़ा हो, या जब उन व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जो उसके स्वामी हो या उस पर अधिकार रखते हों, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर सुविधाजनक रूप से अलग–अलग नोटिस की तामील न की जा सकती हो, तो नोटिस इस विधि से प्रकाशित कराया जायेगा जो इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाये।

अधिकृत की हुई भूमि का उपयोग

4–उस दशा में जब कोई भूमि धारा 3 के अन्तर्गत अधिकृत की जाये तो अधिकृत करने वाला अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी जो नियत किया जाये, उस भूमि को इस प्रकार उपयोग में ला सकता है जो उसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिय उचित जान पड़े ।

भूमि अधिकृत करने वाले अधिकारी के अधिकार

5–(1) अधिकृत करने वाला अधिकारी धारा 3 के अन्तर्गत किसी भूमि को अधिकृत करने या उसके लिये प्रतिकर नियत करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को यह आज्ञा दे सकता है कि––

(क) वह उस अधिकारी को जो उक्त आज्ञा में बताया गया हों, उस सम्पत्ति के विषय में आज्ञा में वर्जित ऐसी सब बातों की सूचना दे जो उसके ज्ञान में हो, और

(ख) उस भूमि का स्वामी या अधिष्ठाता या अधिकारी उक्त आज्ञा देने वाले अधिकारी की अनुमति के बिना उस भूमि को ऐसी अवधि के समाप्त होने तक न बेचेगा जोकि उक्त आज्ञा में बताई गई हों ।

(2) उपधारा (1) के द्वारा प्राप्त अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति या अधिकारी जो अधिकृत करने वाले अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया हो, किसी भूमि में यह निश्चय करने के उद्देश्य से कि उक्त भूमि के सम्बन्ध मे धारा 3 के अन्तर्गत कोई आज्ञा दी जानी चाहिये और यदि दी जानी चाहिये तो किस प्रकार या धारा 3 के अधीन दी गई किसी आज्ञा का पालन करवाने के लिये प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है ।

किसी समिति या संघ द्वारा भूमि अधिकृत करने के लिये

6–कोई समिति या संघ जिसकी रजिस्टरी सहकारी समितियों के ऐक्ट, 1912 ई० (कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 ई०) के अधीन हुई हो, या संयुक्त प्रान्तीय पंचायत राज ऐक्ट, 1947 ई० के अधीन कोई गांव सभा नियत विधि के अनुसार भूमि अधिकृत करने वाले अधिकारी के पास प्रार्थना–पत्र भेज सकती है कि वह प्रार्थना–पत्र में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये किसी भूमि को अधिकृत कर ले ।

किसी समिति या संघ के प्रार्थना–पत्र पर भूमि अधिकृत करने वाले अधिकारी द्वारा घोषणा

7–यदि भूमि अधिकृत करने वाले अधिकारी को, ऐसी और उस प्रकार जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, यह सन्तोष हो जाय कि धारा 6 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना–पत्र में बताई गई भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है और वह इस काम के लिये उपयुक्त है, तो वह अधिकारी इस आशय की एक घोषणा कर देगा और सिवाय उस दशा के जो धारा 14 में बताई गई है वह घोषणा अन्तिम और निर्णायात्मक होगी ।

धारा 7 के अन्तर्गत घोषणा करने के पश्चात् भूमि का अधिकृत किया जाना

8–जब धारा 7 के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध मे यह घोषणा की गई हो कि वह सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक या उपयुक्त है, तो भूमि अधिकृत करने वाला अधिकारी, प्रान्तीय सरकार के साधारण नियन्त्रण के अधीन ऐसी भूमि को अधिकृत कर सकता है और इस ऐक्ट के आदेश, जहां तक वे लागू हो सकते हों, ऐसी भूमि पर लागू हो जायेंगे ।

प्रतिकर का भुगतान

9–(1) जब कोई भूमि धारा 3 के अन्तर्गत अधिकृत की गई हो तो प्रत्येक व्यक्ति को जिसका उसमें हित हो, ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जो ऐसे व्यक्ति और भूमि अधिकृत करने वाले अधिकारों के बीच लिखित रूप से नीचे लिखी बातों के सम्बन्ध में निश्चित किया जाये :––

(क) ऐसी भूमि का अधिकृत करना, और

(ख) कोई ऐसी क्षति जो प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति के आंतरिक अधिकृत करने की अवधि में उस भूमि को पहुँची हो ।

स्पष्टीकरण––इस उपधारा के उद्देश्यों के लिये किसी तालाब को गहरा करना और गांव के कूड़ों का मिस्सीखाद (कम्पोस्ट) बनाने के लिए गड्ढे बनाना भूमि की क्षति नहीं समझी जायगी ।

(2) जब कोई ऐसा समझौता न हो सके तो अधिकृत करनेवाला अधिकारी उस मामले को अपनी इस सिफारिश के साथ कि प्रतिकर की रकम कितनी होनी चाहियें और वह किन कारणों से दी जानी चाहिये, प्रतिकर पदाधिकारी के पास भेज देगा और प्रतिकर मांगने वाले व्यक्ति को भी ऐसे अधिकारी को निर्धारित तारीख पर उपस्थित होने का

निर्देश देगा और प्रतिकर पदाधिकारी इस सम्बन्ध मे नियत की गई तारीख पर या किसी अन्य स्थगित की हुई तारीख पर ऐसे व्यक्ति को सुनेगा और ऐसी अधिक जांच के बाद जो वह उचित समझे प्रतिकर की धनराशि निश्चित करेगा और यह धनराशि सिवाय उस दशा में जो धारा 12 में बताई गई है, अन्तिम और निर्णयात्मक होगी ।

(3) प्रतिकर पदाधिकारी प्रतिकर की धनराशि निम्नलिखित बातों पर विचार करते हुए निश्चित करेगा :––

(क) कोई लगान, जो अधिकृत की हुई भूमि पर निर्धारित किया गया हो;

(ख) सायर की कोई आय जो ऐसी भूमि से होती हो;

(ग) उन पेड़ों का मूल्य जो भूमि अधिकृत किये जाने के कारण भूमि से हटाने पड़ें हों; और

(घ) वह प्रयोजन जिसके लिए यह भूमि अधिकृत की गई हो । उक्त पदाधिकारी उस लाभ को भी ध्यान में रखेगा जो उस भूमि का उपयोग किये जाने के कारण किसी ऐसी अन्य सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुँचने की सम्भावना हो, जो ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में या उसके अधिकार में हो । पर वह निम्नलिखित बातों पर कोई विचार नहीं करेगा ––

(अ) वाक्यखन्ड (ग) में उल्लिखित पेड़ों के अतिरिक्त ऐसे पेड़ों का मूल्य जो उपर्युक्त व्यक्ति के अधिकार में बने रहें और जिनका वह उपभोग करता रहे;

(ब) ऐसी फसलों का मूल्य जो भूमि अधिकृत करने के समय उस पर खड़ी हुई हों और जिन्हें वह ऐसे समय के बाद जो अधिकृत करने वाला अधिकारी इस सम्बन्ध में निर्धारित करे, हटा ले;

(स) अधिकृत को हुई भूमि में या भूमि पर किसी व्यक्ति के उस स्वत्व का मूल्य जिसका उपभोग न तो स्थगित किया गया हो और न किसी अन्य विधि से निषिद्ध किया गया हो ।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियत किया गया या उपधारा (2) के अधीन निश्चित किया गया प्रतिकर इस प्राकर दिया जायगा जिस प्रकार सम्बन्धित पक्ष निश्चित करे या जैसा प्रतिकर पदाधिकारी आदेश दे ।

अधिकृत की गई भूमि का मुक्त किया जाना

10–(1) यदि धारा 3 या 8 के अधीन अधिकृत की गई कोई भूमि प्राप्त न की जाय और वह अधिकृत भूमि की दशा से मुक्त की जाने वाली हो तो अधिकृत करने वाला अधिकारी ऐसा जांच करने के पश्चात् और यदि वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का निर्णय करेगा जिसको उसके विचार में उस भूमि पर अधिकार मिलना चाहिये ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई आज्ञा में बताये गये व्यक्ति को ऐसी भूमि का अधिकार दिये जाने पर प्रान्तीय सरकार उस सब उत्तरदायित्व से मुक्त हो जायगी जो उस पर उस भूमि के सम्बन्ध में न्यायोचित व्यक्ति को अधिकार दिलाने के विषय में रहा हो, किन्तु इससे उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति के उस स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ेगा जो वह वैधानिक कार्यवाही करके उस व्यक्ति के विरूद्ध स्थापित कर सके जिसका उक्त भूमि पर इस प्रकार अधिकार दिया गया हो ।

(3) ऐसी दशा में जबकि वह व्यक्ति जिसे धारा 3 या 9 के अधीन अधिकृत की गई किसी भूमि पर अधिकार दिया जाने वाला हो, न मिले या उसका सरलता से पता न

चले या उसकी ओर से भूमि पर अधिकार करने के लिए कोई अधिकृत एजेन्ट या अन्य व्यक्ति न हो तो प्रान्तीय सरकार, सरकारी गजट में एक नोटिस प्रकाशित करेगी, जिसमें यह घोषित किया जायेगा कि ऐसी भूमि अधिकृत करने से मुक्त की जाती है और उसकी एक प्रतिलिपि को उस भूमि के किसी प्रमुख भाग में लगवा देगी ।

(4) जबकि उपधारा (3) में उल्लिखित नोटिस सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाये तो ऐसे नोटिस में बताई गई भूमि, ऐसे प्रकाशन की तारीख को और उस तारीख से अधिकृत की हुई नही रह जायेगी और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह उस व्यक्ति को दे दी गई है जिसकी उस पर अधिकार मिलना चाहिये था ।

(5) उपधारा (2) या (4) के अधीन अधिकार दे दिये जाने पर प्रान्तीय सरकार उस दशा में अतिरिक्त जब धारा 9 के अधीन दी गई किसी आज्ञा के द्वारा आदेश दिया जाये, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर देने या कोई अन्य दावों के लिए उत्तरदायी नही होगी ।

अधिकृत की गई भूमि की निगरानी तथा प्रबन्ध करने का अधिकार देना

11–अधिकृत करने वाला अधिकारी, इस ऐक्ट के अधीन अधिकृत की गई किसी भूमि के प्रबन्ध या देखभाल का अधिकार सहकारी समिति या संघ या गांव सभा को ऐसी शर्तो तथा प्रतिबन्धो के साथ सौंप सकता है जो नियत की जाये और ऐसे भूमि का जो इस प्रकार किसी समिति, संघ या गांव सभा को सौंपी जाये, प्रबन्ध उस विधि से होगा जो कि नियत की जाये।

अधिकृत करने वाले अधिकारी द्वारा की गई आज्ञाओं का पुनर्निरीक्षण

12–यदि प्रान्तीय सरकार या नियत अधिकारी संतुष्ट हो जाय कि किसी पक्ष के साथ घोर अन्याय हुआ तो धारा 7 के अधीन अधिकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा या धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर पदाधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा का वह पुनर्विचार कर सकता है ।

प्रान्तीय सरकार को देय धनराशियां भू–कर आगम मालगुजारी के शेष के रूप में उगाही जायेंगी

13–कोई धन जो इस ऐक्ट के आदेशों या नियमों के अधीन किसी सहकारी समिति, संघ या गांव सभा द्वारा या ऐसी संस्था के सदस्यों द्वारा प्रान्तीय सरकार को देय हो, उस समिति, संघ अथवा सभा या उनके सदस्यों से, जैसी भी दशा हों, मालगुजारी की भांति उगाहा जायेगा।

इस ऐक्ट के अधीन दी गई किसी आज्ञा पर कोई अदालत आपत्ति न करेगी

14–(1) उसके अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट में की गई है और किसी प्रकार से किसी आज्ञा पर जों इस ऐक्ट के अधीन या द्वारा प्राप्त किसी अधिकारी का उपयोग करने में दी गई हो, किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी ।

(2) उस दशा में जबकि किसी आज्ञा के सम्बन्ध में यह समझा जाये कि वह किसी अधिकारी द्वारा इस ऐक्ट के अधीन प्राप्त किसी अधिकार का उपयोग करते हुए दी गई है और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं तो न्यायालय इंडियन एवीडेन्स ऐक्ट (भारतीय साक्ष्य विधान), 1872 ई० के आशय के अन्तर्गत यह समझेगा कि ऐसी आज्ञा उक्त अधिकारी ने इस प्रकार दी थी ।

ऐक्ट सं० 1, 1872 ई०

इस ऐक्ट के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा

15–(1) उस दशा में अतिरिक्त जिसके सम्बन्ध में इस ऐक्ट में व्यवस्था की गई है, कोई नालिश अथवा कोई दूसरी वैधानिक कार्यवाही, किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे काम के लिये जो इस ऐक्ट के अथवा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या दी गई आज्ञाओं के अनुसार सद्भावना से किया गया हो, अथवा जिसके करने का विचार हो, न की जा सकेगी ।

(2) कोई नालिश अथवा दूसरी वैधानिक कार्यवाही प्रान्तीय सरकार के विरूद्ध किसी ऐसी क्षति के लिये जो इस ऐक्ट के अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या दी गई आज्ञाओं के अनुसार सद्भावना से किये गये किसी काम से हुई हो या जिसके होने की सम्भावना हो, न की जा सकेगी ।

नियम बनाने का अधिकार

16–(1) प्रान्तीय सरकार, इस ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये इस ऐक्ट के अनुरूप नियम बना सकती है ।

(2) विशेषकर और उल्लिखित अधिकारों की सामान्यता पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले ऐसे नियम निम्नलिखित बातों को नियत करेंगे :––

(क) वे विवरण जो किसी सहकारी समिति अथवा संघ अथवा गांव सभा द्वारा भूमि अधिकृत करने के लिये आवेदन–पत्र में दिये जायेंगे ;

(ख) वह कार्य–विधि (प्रोसीजर) जिसके अनुसार प्रतिकर पदाधिकारी अथवा भूमि अधिकृत करने वाले अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी ;

(ग) वे व्यय तथा शर्तें और प्रतिबन्ध जिनके अधीन प्रबन्ध और देखभाल किसी सहकारी समिति, संघ अथवा गांव सभा को सौंपे जाये।

(घ) वह विधि तथा सिद्धान्त जिनके अनुसार अधिकृत की हुई भूमि के विषय में लगान और सायर निश्चित किये जाये ,

(ङ) वह अधिकारी जो धारा 12 के अधीन अधिकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा का पुनर्विचार कर सकता है, और वह कार्य–विधि जिसके अनुसार वह कार्य करेगा, और

(च) कोई अन्य विषय जिसकी नियत करना है अथवा जो नियत किया जा सकता है ।